



थाना निगोही पुलिस की प्रभावी कार्यवाही: चोरी के प्रकरण (मु0अ0सं0 007/2026) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, नकदी, आभूषण एवं 02 चोरी की मोटरसाइकिल बरामदा।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व श्री प्रयांक जैन क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में व श्री अशोक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना निगोही के नेतृत्व में थाना निगोही पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.01.2026 को वादी श्री हामिद हुसैन पुत्र भूरे, निवासी ग्राम जिन्दपुरा, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना स्थानीय पर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना निगोही पर मु0अ0सं0 007/2026, धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम अरसान पुत्र शोएब, निवासी मोहल्ला ग्यासपुर, कस्बा व थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत तथा अरसान के 02 अन्य साथी (नाम-पता अज्ञात) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना उ0नि0 श्री लालबहादुर सिंह द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के दौरान आज दिनांक 06.01.2026 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जिन्दपुरा में चोरी की घटना में संलिप्त अभियुक्त अरसान एवं उसका एक साथी सृजनी मिल्क डेयरी के आगे कच्चे रास्ते पर स्थित सिद्ध बाबा मंदिर के पास खड़े हैं। उक्त सूचना पर थाना निगोही पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें एक बारगी दबिश देकर सिद्ध बाबा मंदिर के पास समय करीब 00.42 बजे हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ₹14,700/- (चौदह हजार सात सौ रुपये) नगद, एक मोटरसाइकिल नं0 यू0पी0 27 ए के 1033 (टी0वी0एस अपाचे, सफेद रंग), एक मोटरसाइकिल होंडा नं0 यू0पी0 27 एक्स 6924, सफेद धातु की 01 जोड़ी पायल एवं सफेद धातु की 01 जोड़ी खड़वे बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तगण—1. अरसान पुत्र मो0 शोएब, निवासी मोहल्ला ग्यासपुर, कस्बा व थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत, 2. शोएब पुत्र जान मोहम्मद, निवासी ग्राम गौटिया नूर मोहम्मद, थाना शेरगढ़, जनपद बरेली को माननीय न्यायालय से रिमांड स्वीकृत कराकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। प्रकरण में प्रकाश में आए अन्य अभियुक्त शहबाज पुत्र साबिर, निवासी मोहल्ला ग्यासपुर, कस्बा व थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की तलाश जारी है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण का विवरण—

1. अरसान पुत्र मो0 शोएब निवासी ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत उम्र करीब 20 वर्ष
2. शोएब पुत्र जान मोहम्मद निवासी ग्राम गौटिया नूर मोहम्मद थाना शेरगढ़ जनपद बरेली उम्र करीब 22 वर्ष

पंजीकृत अभियुक्त का विवरण:-

मु0अ0सं0 007/2026 धारा 305/331(4)/317(2) BNS थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर

अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त अरसान पुत्र मो0 शोएब का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 007/2026, धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर

2. मु0अ0सं0 722/2025, धारा 303(2) बीएनएस, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर

3. मु0अ0सं0 08/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर

अभियुक्त शोएब पुत्र जान मोहम्मद का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 007/2026, धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर

2. मु0अ0सं0 722/2025, धारा 303(2) बीएनएस, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर

3. मु0अ0सं0 08/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:

1. अभियुक्त अरसान पुत्र मो0 शोएब के कब्जे से—₹ 6,400/- (छ: हजार चार सौ रुपये) नगद, सफेद धातु की 01 जोड़ी पायल

2. अभियुक्त शोएब पुत्र जान मोहम्मद के कब्जे से—₹ 8,300/- (आठ हजार तीन सौ रुपये) नगद, सफेद धातु के 01 जोड़ी खड़वे

3. एक मोटरसाइकिल नं0 यू0पी 27 ए के 1033 टी0वी0एस अपाचे सफेद रंग

4. एक मोटरसाइकिल होन्डा यू0पी 27 एक्स 6924

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.12.2025 की रात्रि को उन्होंने अपने साथी शहबाज पुत्र साबिर, निवासी मोहल्ला ख्यासपुर, कस्बा व थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के साथ मिलकर अभियुक्त अरसान के मामा हामिद के घर में रखे बक्से का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त चोरी में ₹68,000/- (अड़सठ हजार रुपये) नगद, चांदी की 02 जोड़ पायल तथा चांदी की 01 जोड़ी खड़वे, जो एक छोटे बैग में रखे थे, चोरी किए गए थे, जिन्हें तीनों अभियुक्तों द्वारा आपस में बांट लिया गया था। वितरण के संबंध में अभियुक्तों ने बताया कि—अभियुक्त अरसान के हिस्से में ₹15,000/- नगद व चांदी की 01 जोड़ी पायल, अभियुक्त शोएब के हिस्से में ₹15,000/- नगद व चांदी की 01 जोड़ी खड़वे, तथा अभियुक्त शहबाज के हिस्से में ₹38,000/- नगद व चांदी की 01 जोड़ी पायल आई थी। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि उनके पास शेष वही धनराशि बची थी, जो बरामद की गई है, शेष धनराशि वे खर्च कर चुके हैं। बरामद मोटरसाइकिल के दस्तावेजों के संबंध में पूछे जाने पर दोनों अभियुक्तों ने एक स्वर में बताया कि उक्त मोटरसाइकिल उन्होंने अपने साथी शहबाज के साथ दिनांक 24.12.2025 को मोहल्ला गदियाना चुंगी, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर क्षेत्र से चोरी किया था, को उन्होंने सिद्ध बाबा मंदिर के पास झाड़ियों में छिपा दिया था। अभियुक्तों ने बताया कि वे आज उक्त मोटरसाइकिल को ले जाने के लिए अपने साथी शहबाज की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसी दौरान थाना पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह थाना निगोही शाहजहाँपुर

2. व0उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर

3. उ0नि0 श्री लालबहादुर सिंह थाना निगोही शाहजहाँपुर

4. उ0नि0 श्री ऋषिपाल सिंह थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर

5. का0 2762 मोहित कुमार थाना निगोही शाहजहाँपुर

6. का0 724 विक्रम सिंह थाना निगोही शाहजहाँपुर

7. का0 1131 अमित कुमार थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर

8. का0 2139 विनीत कुमार थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर

